(भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड -1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक 27 मई, 2016

संकल्प

सं. ई. 11015(4)/2014-हिंदी : गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/45/87-रा.भा.(क-2), दिनांक 15 मार्च, 1988 और का.ज्ञा. सं. II/20015/45/87-रा.भा.(क-2) दिनांक 04-05-1989 के अनुसरण में तथा अपने दिनांक 30 अगस्त, 2013, 10 सितम्बर, 2013 एवं 31 अक्तूबर, 2013 के संकल्प सं. ई. 11015/3/2013-हिंदी का अतिक्रमण करते हुए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया गया है। इस पुनर्गठित समिति का गठन, कार्य आदि इस प्रकार होंगे:

I. गठन

1.	इस्पात और खान मंत्री	अध्यक्ष
2.	इस्पात और खान राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष

गैर सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित लोक सभा के दो सदस्य

1	श्री दलपत सिंह परस्ते, संसद सदस्य (लोक सभा) 2, पं. पन्त मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य
2	श्री संतोख सिंह चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा) 31, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली- 110001	सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित राज्य सभा के दो सदस्य

3	श्री लालसिंह वडोदिया, संसद सदस्य (राज्य सभा) सी-301, स्वर्ण जयन्ती सदन, डा. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001	सदस्य
4	श्री नरेश गुजराल, संसद सदस्य (राज्य सभा) 65, लोधी स्टेट, नई दिल्ली	सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित दो सदस्य

5	श्रीमती रंजीत रंजन, संसद सदस्य (लोक सभा) 11-ए, बलवन्त राय मेहता लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य
6	डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय, संसद सदस्य (लोक सभा) 302, नर्मदा अपार्टमेंट, डा. बी.डी.मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य

केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् एवं अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के प्रतिनिधि

7	श्री गोपाल कृष्ण फरलिया, डी-2/2205, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070	सदस्य
8	डॉ. बंडोपंत पाटील, यशवंत, 77 ए, निर्मिति विहार, बिजापुर रोड, सोलापुर- 413004 (महाराष्ट्र)	सदस्य

मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

9	सुश्री क्रांति कनाटे 203, टॉवर-3, सांईनाथ स्क्वेयर, मदर्स स्कूल के पीछे, जलाराम चौकड़ी, बड़ौदा - 390021	सदस्य
10	प्रो. (डॉ.) त्रिभुवन नाथ शुक्ल, 56, अशोक नगर, अधरताल, जबलपुर -482002	सदस्य
11	डॉ. श्रीराम परिहार आजादनगर, खण्डवा (म.प्र.) 450001	सदस्य
12	डॉ. विकास दवे 3, वी.आय.पी. धनश्री नगर, इन्दौर- 452009 (म.प्र.)	सदस्य

रा ाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य

13	श्री पुनीत प्रधान, म.नं. 225, सेक्टर-2, गंगयाल, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	सदस्य
14	श्री चन्द्रकान्त जोशी, 407, कावेरी बिल्डिंग, ओशिवरा पुलिस स्टेशन के पास, ओशिवरा, अंधेरी (प), मुम्बई-400102	सदस्य
15	श्री प्रभात वर्मा, सी-1/182, सेक्टर-जी, जानकीपुरम, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	सदस्य

सरकारी सदस्य

16.	सचिव (इस्पात), इस्पात मंत्रालय	सदस्य
17.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
18.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय	सदस्य
19.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
20.	अध्यक्ष, स्टील ऑथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
21.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद	सदस्य
22.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मेकॉन लिमिटेड, रांची (झारखंड)	सदस्य
23.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, नागपुर	सदस्य
24.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलौर	सदस्य
25.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, (विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र) विशाखापट्टनम	सदस्य
26.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता	सदस्य
27.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता	सदस्य
28.	प्रबंध निदेशक, फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, भिलाई	सदस्य
29.	संयुक्त सचिव, (राजभाषा के प्रभारी), इस्पात मंत्रालय	सदस्य-सचिव

II. कार्य

इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी निदेशों, अनुदेशों के कार्यान्वयन और मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

III. कार्य-अवधि

(1) समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से सामान्यत: 3 वर्ष का होगा।

(2) समिति के कार्य-काल के दौरान, यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वह उस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

(3) विशेष परिस्थितियों में मंत्रालय द्वारा समिति का कार्यकाल कम या ज्यादा किया जा सकता है।

(4) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(5) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं जिनके नाते वे समिति के सदस्य हैं।

IV. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित कर सकती है।

V. यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते

(क) राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं.।।/20034/04/2005-रा.भा.(नीति-2) के तहत, समिति में नामित सांसदों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 'संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954' के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाएं गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा।

(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को इस समिति के उच्च स्तरीय स्वरूप के दृष्टिगत राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ।।/20034/04/86-रा.भा.(नीति-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित/ निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता/ दैनिक भत्ता देय होगा।

<u>आदेश</u>

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

श्रीनिवास

(टी. श्रीनिवास)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23063872

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद (हरियाणा)

अनुरोध है कि जिस राजपत्र में यह संकल्प प्रकाशित हो उसकी प्रति इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजें।